न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
64 / प्रा.पत्र / 2014	05.08.2014	17.12.2019

1. श्रीमती अमरी बाई पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम नटावा तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)
2. धर्मराज आ. लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम नटावा तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. जगन्नाथ आ. कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम नटावा तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)
2. आवंटन परामर्शदात्री समिति, हिण्डोली द्वारा अध्यक्ष उपखण्ड *अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)*

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थित :–

प्रार्थीगण की ओर से – श्री कैलाश चंद गुप्ता, अभिभाषक।
अप्रार्थीगण की ओर से – श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक।

–: निर्णय :–

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अप्रार्थी जगन्नाथ आ. कल्याण जाति मीणा को कृषि प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन दिनांक 14.03.2005 ग्राम नटावा तहसील हिण्डोली खसरा नं. 127/01 रकबा 03 बीघा को निरस्त करवाने हेतु इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण व अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थीगण संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रार्थी 01, प्रार्थी 02 की माता है। प्रार्थीगण कृषक है। उनकी आजीविका कृषि पर आधारित है। प्रार्थीगण ग्राम नटावा के निवासी है। आवंटन परामर्शदात्री समिति ने दिनांक 14.03.2005 को अप्रार्थी जगन्नाथ

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

की भूमि ख. नं. 68 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, ख. नं. 127/01 रकबा 03 बीघा कुल रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। आवंटन परामर्शदात्री का उक्त आवंटन आदेश वस्तुस्थिति के विपरित होने से निरस्तनीय है। आवंटन किये जाने से पूर्व ग्राम नटावा के भूमिहीन काश्तकारों की सूची नहीं बनाई गई है। जिसके कारण भूमिहीन काश्तकार आवंटन से वंचित रहे है। आवंटित भूमि की उद्घोषणा जारी नहीं की गई है। इसलिये भी काश्तकारों को आवंटन कार्यक्रम की जानकारी नहीं रही है। अप्रार्थी को आवंटित की गई भूमि में से ख.नं. 745/127 रकबा 03 बीघा को प्रार्थीया अमरी बाई का गत 30 वर्षो से कब्जा काश्त निरंतर चला आ रहा है। भूमि को प्रार्थीया ने ही फाड तोड़ कर काबिल काश्त बनाया है। वर्तमान में भी प्रार्थीगण ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। इस भूमि की अप्रार्थी की खाते की अन्य कृषि भूमि की तरफ की मेड पर बड़े–बड़े नीम व बम्बूल के पेड लगे हुये है तथा मौके पर पुख्ता मेड बनी हुई है। प्रार्थीगण इस भूमि से ही अपनी आजीविका कमाते है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि को अपने नाम नियमन किये जाने के लिये प्रार्थना पत्र आवंटन से पूर्व प्रस्तुत किया था। जिस पर आवंटन परामर्शदात्री समिति ने कोई निर्णय नहीं दिया एवं ना ही जांच करवाई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का बिना निर्णय किये ही अप्रार्थी को उक्त भूमि आवंटित कर दी गई। अप्रार्थी जगन्नाथ ने स्वयं तथा पिता के खाते में उपलब्ध सम्पूर्ण भूमि का भी विवरण नहीं किया है। आवंटन आवेदन पत्र में अप्रार्थी के पिता के खाते में 16 बीघा सिंचित तथा 13 बीघा 01 बिस्वा असिंचित कुल 29 बीघा 01 बिस्वा भूमि पिता के खाते में होना अंकित किया है। आवंटी दो भाई व चार बहिने होना बताकर भूमि को 06 हिस्सों में बांटते हुये आवंटी को भूमिहीन काश्तकार मानकर भूमि का आवंटन किया गया है जो गलत व त्रुटिपूर्ण है। आवंटी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। जिन पर हिन्दू उत्तराधिकारी के प्रावधान लागू नहीं हाते है और पुरूष पुत्र की मौजूदगी में पुत्री को सम्पत्ति में पिता से उत्तराधिकार प्राप्त नहीं हाते है। आवंटी जगन्नाथ व उसके भाई के भूमि के दो हिस्से करने पर तथा सिंचित 16 बीघा भूमि को गणना के लिये दोगुनी असिंचित भूमि के समान माने जाने पर आवंटी के परिवार के पास 45 बीघा भूमि बनती है। जिसके अनुसार आवंटी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है। ग्राम नटावा पृथक राजस्व ग्राम है जबकि आवंटन परामर्शदात्री समिति ने कैम्प ग्राम सथूर में लगाया है। इस कारण भी ग्राम नटावा के भूमिहीन काश्तकार कैम्प सथूर में उपस्थित नहीं हो सके और आवेदन करने से वंचित रह गये। आवंटित भूमि दो खातेदार कृषकों की भूमि के मध्य स्थित है। पटवारी द्वारा इस तथ्य का अंकन नहीं किया गया है। आवंटित भूमि दो पडोसी खातेदारी कृषको के मध्य स्थित होने पर उच्चतम बोली वाले व्यक्ति को आवंटन किया जाना चाहिये था। लेकिन इस प्रक्रिया की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी.. 1987 पेज 54(C)(D), आर.बी.जे. 2002 पेज 148, आर.बी.जे. 2001 पेज 221, आर.बी.जे. 2002, पेज 23, आर.बी.जे. 2001 पेज 287, आर.बी.जे. 2003 पेज 566 की नजीरे पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कृषि भूमि ख. सं.

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

745/127 रकबा 03 बीघा ग्राम नटावा में अप्रार्थी जगन्नाथ को किया गया आवंटन दिनांक 14.03.2005 निरस्त किया जाकर पुराने कब्जे के अनुसार प्रार्थीगण को नियमन किये जाने का आदेश फरमावे।

अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने प्रस्तुत जवाब को दोहराते हुये तर्क पेश किये कि अप्रार्थी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बाद जांच पूर्ण कोरम में सर्वसम्मति से आवंटन किया गया है। आवंटन भूमि पर प्रार्थी अमरी बाई का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। आवंटन से पूर्व भी आवंटी का ही कब्जा काश्त था अप्रार्थी ने ही आवंटित भूमि को काफी रकम खर्च करके काबिल काश्त बनाया है। आवंटन से पूर्व आवंटी ही पैनाल्टी जमा कराता था। वर्तमान में भी अप्रार्थी आवंटी का ही कब्जा काश्त है। आवंटी की आवंटित भूमि पर प्रार्थी कब्जा करना चाहते है। अप्रार्थी को आवंटित भूमि पर खातेदारी दी जा चुकी है तथा अप्रार्थी आवंटित भूमि का खातेदार कृषक है और खातेदारी भूमि पर अप्रार्थी ने के.सी.सी. लोन भी ले रखा है। अप्रार्थी खातेदार कृषक होने से अब आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 1973 D.B पेज 566, आर.आर.डी. 2009 पेज 99, आर.आर.डी. 1986 पेज 595, आर.आर.डी. 2009 पेज 99, आर. आर.डी. 2011 पेज 571, आर.आर.डी. 2010 पेज 78, आर.आर.डी. 2009 पेज 99 आर.आर.डी. 1994 पेज 87, आर.आर.डी. 1987 पेज 448 की नजीरे पेश कर निवेदन किया कि खातेदारी प्राप्त होने के बाद आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन, तथ्यहीन होने से खारिज फरमाया जावे तथा अप्रार्थी को किया गया आवंटन बहाल रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी जगन्नाथ आ. कल्याण को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 14.03.2005 को बाद जांच पूर्ण कोरम में ख.नं. 68 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, ख. नं. 127/01 रकबा 03 बीघा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया है। आवंटन आवेदन पत्र पर अंकित पटवारी रिपोर्ट के अनुसार वक्त आवंटन आवंटी ट्रेसफासर था एवं पटवारी रिपोर्ट के अनुसार आवंटी भूमिहीन कृषक था। सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी करने के उपरान्त आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया गया है। आवंटन के पश्चात् आवंटी को दिनांक 28.04.2005 को पटवारी हल्का व भू.अ. निरीक्षण द्वारा मौके पर दखल दिया गया है। दखलनामा अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली में शामिल है। आवंटन के पश्चात् आवंटी गैरखातेदार दर्ज किया गया है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 में अंकित नोट से नामा. सं. 339 दिनांक 23.12.2009 से आवंटी को खातेदारी दी जा चुकी है तथा नामा. सं. 344 दिनांक 30.11.2010 से आवंटित भूमि बैंक के नाम रहन दर्ज है। प्रार्थीया ने खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2069 वर्ष 2012–13 खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2068 वर्ष 2011–12 पेश की गई है जिसके अनुसार उसका अतिक्रमण ख. नं. 127/4 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा पर है। जबकि अप्रार्थी को दिनांक 14.03.2005 को ख.नं. 127/01 रकबा 03 बीघा का आवंटन हुआ है।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

इस प्रकार आवंटित भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त साबित नहीं होता है। अप्रार्थी को दिनांक 14.03.2005 को आवंटन हुआ है जबकि अप्रार्थीया ने खसरा परिवर्तनशील पेश की गई है वह वर्ष 2012–13 व वर्ष 2011–12 की है। अप्रार्थी को सम्पूर्ण कोरम में विधिपूर्ण तरीके से आवंटन किया जाकर दखल दिया गया है। दखल देने के पश्चात् गैरखातेदारी व खातेदारी अधिकार दिये गये है। जिसमें कोई विधिक दोष होना प्रमाणित नहीं होता है। आवंटी को खातेदारी दी जा चुकी है खातेदारी दिये जाने के पश्चात् आवंटन खारिज की कार्यवाही भी चलने योग्य नहीं है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी को किया गया भूमि आवंटन दिनांक 14.03.2005 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली नियमानुसार फैसल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बूंदी (राज0)